भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3941
(जिसका उत्तर सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक) को दिया गया)

दिवाला व्यावसायिकों की नियुक्ति

3941. श्री विनसेंट एच. पाला:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत नए स्नातकों को दिवाला व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक (आरपी) के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की आरपी के आचरण की निगरानी और स्व-विनियमन के लिए एक समाधान व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या लेनदारों की समिति को आरपी का चयन करते समय/हटाते समय किसी विशिष्ट दिशानिर्देशों/आचार संहिता का पालन करना होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का प्रावधान है कि अन्य अर्हताओं के साथ-साथ, 24 माह की अवधि वाले सघन कार्यक्रम, 'स्नातक दिवाला कार्यक्रम' (जीआईपी) को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले व्यक्ति भी दिवाला व्यावसायिकों (आईपी) के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हैं। 28 फरवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने इस कार्यक्रम के 16 स्नातकों को आईपी के रूप में पंजीकरण प्रदान किया है। साथ ही, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एए) ही किसी दिवाला व्यावसायिक को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) के तहत अभ्यर्पित कार्यों का निपटान करने हेतु अंतरिम समाधान व्यावसायिक (आईआरपी)/समाधान व्यावसायिक (आरपी) के रूप में नियुक्त करता है।

(ख): जी, नहीं। सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संहिता में दिवाला व्यावसायिकों के कार्य-संचालन की निगरानी करने हेतु एक दो स्तरीय विनियामक ढांचे का प्रावधान किया गया है। प्रथम स्तर में, आईबीबीआई में पंजीकृत तीन दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां (आईपीए) हैं, जिनके सदस्य दिवाला व्यावसायिक हैं। आईपीए के कार्यकलापों में, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यावसायिकों के आचरण के मानकों को निर्धारित करना, इसके सदस्यों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना और उप-विधियों के आधार पर उन्हें विनियमित करना शामिल हैं। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड आईपीए और आईपी पर निगरानी रखने वाला द्वितीय स्तर का विनियामक है।

(ग): यदि कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु इस संहिता के अंतर्गत वित्तीय लेनदार (धारा 7 के तहत) या निगमित ऋणी (धारा 10 के तहत) द्वारा कोई आवेदन फाइल किया जाता है, तो आवेदनकर्ता से यह अपेक्षित होता है कि वह आवेदन के साथ-साथ किसी आईआरपी के नाम का प्रस्ताव रखे और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उसकी सहमति पर ऐसे आईआरपी की नियुक्ति करता है, यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं हों। तथापि, प्रचालन लेनदारों (ओसी) द्वारा धारा 9 के तहत आवेदन फाइल किए जाने के मामले में, प्रचालन लेनदार किसी आईआरपी के नाम को प्रस्तावित कर सकता है या नहीं कर सकता है। ऐसे मामले में, इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से यह अपेक्षित होता है कि वह एक ऐसे आईपी, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो, के नाम की संस्तुति करने हेतु आईबीबीआई को एक संदर्भ-पत्र लिखें। इस प्रयोजनार्थ, आईबीबीआई न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को दिवाला व्यावसायिकों का एक पैनल उपलब्ध कराता है जिसमें से आईआरपी की नियुक्ति की जा सकती है।

तत्पश्चात, नियुक्त आईआरपी से यह अपेक्षित होता है कि वह एक 'लेनदारों की समिति' (सीओसी) गठित करे तथा इसके गठन के सात दिनों की अवधि के भीतर इसकी प्रथम बैठक आयोजित की जानी अपेक्षित है जिसके दौरान लेनदारों की समिति को या तो आरपी के रूप में आईआरपी को नियुक्त करना होता है या कम से कम 66% बहुमत वोट के साथ आईआरपी के स्थान पर नए आरपी को प्रतिस्थापित करना होता है, जैसा कि इस संहिता की धारा 22 के अंतर्गत उपबंधित है। आईआरपी को नए आरपी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने हेतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

इसके अलावा, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान जब कभी भी, लेनदारों की समिति का यह अभिमत हो कि धारा 22 के तहत नियुक्त किसी आरपी को प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है, तो वह इस संहिता की धारा 27 में उपबंधित तरीके से उसे किसी दूसरे आरपी के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकती है।

*****